

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट- 111)/2019/

दिनांक :

आदेश

उप संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.25 (120) चिस्वा./ग्रुप-3/2010 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित निम्न नर्सिंग संस्थान को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019-20 के लिए निम्नानुसार निजी नर्सिंग स्कूल्स एवं उनकी सीटों के लिए जारी सूची में निम्न निजी नर्सिंग संस्था का नाम उसके सम्मुख अंकितानुसार शामिल किया जाता है :-

क्र. स.	उसी सूची की क्रम संख्या	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फ़ैडरेशन कोटे से	विशेष विवरण
1.	155	आर0आर0 नर्सिंग इन्स्टी., पुष्कर बाईपास रोड, अपोजिट पावर ग्रिड स्टेशन घूघरा, अजमेर	अजमेर	50	25	25	

शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

दिनांक : 20/11/19

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट- 111)/2019/ 730

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर को उनके उल्लेखित पत्र दिनांक 15.11.2019 के क्रम में।
- रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
- अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
- सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविकट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
- प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, अजमेर।
- प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 में अपलोड करने का श्रम करे।
- प्रबंध निदेशक, राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर।
- उप निदेशक (एसीपी) राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019-20 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर